शरीफा बनाम सोने खां

24-10-25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अपील विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 31–07–2024 जिसके द्वारा अपीलांट की पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि के घोषणात्मक व चिरनिषेधाज्ञा के वाद पत्र के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को कानून व नियमों के विरूद्ध जाकर अपीलांट को बगैर सुने एकतरफा तौर पर कानून व नियमों के विपरित जाकर निरस्त किया गया के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश कि गई थी।

अभिभाषक अपीलांट का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर दिनांक 08–08–2024 को न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पत्रावली वास्ते अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली तलब हेतु रखी गई।

दिनांक 06–10–2025 को अभिभाशक रेस्पोडेंट द्वारा फार्म नंबर 03 के साथ अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे दावा संख्या 78/2023 की प्रति व निर्णय दिनांक 24–06–2025 की आदेशिका की प्रमाणित प्रति पेश कर कथन किया कि उक्त दावा अधीनस्थ न्यायाल में खारिज फरमाया जा चुका है अतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने इसका विरोध करते कथन किए कि उसे दावे मे हुए निर्णय की कोई जानकारी नहीं है वह उक्त दावे की जानकारी कर न्यायालय में अवगत करवा दिया जायेगा।

न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को निर्णय हेतु आरक्षित रख अभिभाषक अपीलांट को उक्त के संबंध में जानकारी प्राप्त कर न्यायालय में देने हेतु निर्देषित कर दिया गया। आदिनांक को निर्णय लिखवाये जाने तक अभिभाषक अपीलांट द्वारा कोई जानकारी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं कि।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में एक घोषणात्मक दावा अर्न्तगत धारा 88, 188 आरटीए पेश किया गया जिसमें साथ प्रार्थना–पत्र धारा 212 आरटीए पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 212

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश कि गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा फार्म नंबर 03 के साथ प्रस्तुत प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 24–06–2025 को अपीलांट/प्रार्थी का घोषणात्मक दावा अर्न्तगत धारा 88, 188 आरटीए जरिये नोटप्रैस खारिज किया जा चुका है उक्त दावा खारिज होने से न्यायालय हाजा में जैरकार अपील सारहीन हो चुकी है अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

उम्मेद सिंह रतनू
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर